

शुद्धि-पत्र

विभागीय सकल्प सं०-1/विविध-39/2026-460(1), दिनांक-04.05.2026 के द्वारा Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत राज्य अंतर्गत इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना सहित सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के परिसर में उपचार हेतु आने वाले रोगियों के परिजनों के लिए उचित एवं सस्ते दरों पर गुणवत्तापूर्ण आवासन हेतु विश्राम गृह निर्मित करने के लिए विश्राम गृह निर्मित करने वाले संस्था एवं स्वास्थ्य विभाग के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) के शर्तों का निर्धारित करते हुए दिशा-निर्देश जारी किया गया था।

2- इस संकल्प की कंडिका-4 को स्पष्टता हेतु निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है-

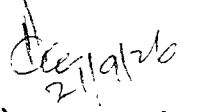
Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत विश्राम गृह निर्मित करने वाली संस्था एवं स्वास्थ्य विभाग के बीच समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) होगा, जिसकी शर्तें निम्नवत् होंगे-

(i) स्वास्थ्य विभाग द्वारा इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना सहित अन्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में उचित भूखंड निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। भूखंड हेतु सिर्फ अनापत्ति प्रदान की जायेगी। इस हेतु भूमि का हस्तांतरण संबंधित संस्था को नहीं किया जायेगा। विश्राम गृह के निर्माण हेतु संबंधित संस्था द्वारा MOU किया जायेगा, जो 30 वर्षों तक जारी रहेगा। आपसी सहमति पर अगले दो बार दस वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन अवधि का विस्तार किया जा सकेगा। MOU की समाप्ति के पश्चात् विश्राम गृह सभी आवश्यक उपस्करों के साथ अस्पताल को हस्तगत हो जायेगा। विश्राम गृह के सफल एवं सुचारु रूप से संचालन हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा। संबंधित अनुश्रवण समिति सावधिक निरीक्षण एवं अनुश्रवण कर सकेगी। साथ ही अनुश्रवण समिति विश्राम गृह के कमरों का दर, भोजन का दर एवं सेवा का मानक तय करेगी एवं विश्राम गृह के संचालन में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। उक्त अनुश्रवण समिति में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्रतिनिधि एवं संबंधित विश्राम गृह के निर्माण एवं संचालन से संबंधित संस्था के प्रतिनिधि होंगे।

(ii) संबंधित विश्राम गृह के निर्माण से संबंधित संस्था द्वारा उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं किया जायेगा अथवा तृतीय पक्ष का अधिकार सृजित नहीं किया जायेगा। संस्था को पूर्णतः अपने व्यय पर विश्राम गृह का डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण करना होगा। निर्माण लागत के साथ ही सभी वैधानिक अनुमति, अनुमोदन, अनुज्ञप्ति, बीमा इत्यादि प्राप्त करने की जिम्मेवारी संबंधित संस्था की होगी। सुरक्षा मानकों, अग्निशमन विनियम एवं सफाई के मानकों के अनुपालन की जिम्मेवारी भी संबंधित संस्था की होगी। संबंधित विश्राम गृह का संचालन संबंधित संस्था द्वारा बगैर लाभ हानि के सिद्धांत (no profit no loss) के आधार पर किया जायेगा।

3- सकल्प सं०-460(1), दिनांक-04.05.2026 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

4- उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(दिनेश कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/विविध-39/2026-1331(1)

/स्वा0, पटना, दिनांक-22/9/2026

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, ई-गजट कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र (गजट) के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सभी प्रमडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव